214

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

R 277-I 12

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक /2016–17

पुनरीक्षणकर्ता/ आवेदक :– सतपुड़ा इन्फ्राकॉन प्रायवेट लिमिटेड द्वारा डारेक्टर–संजय श्रीवास्तव पिता स्व. श्री एल.के. श्रीवास्तव, निवासी– 215, श्री राम नगर वीरसवरकर वार्ड गढ़ा, जबलपुर, तह. व जिला जबलपुर (म.प्र.)

द्वारा आज दि 20-1-17 को प्रस्तुत
क्लर्क
राजस्व मण्डल ग्वालियर

विरूद्ध

गैर–पुनरीक्षणकर्ता/ अनावेदक :–

1. सतपुड़ा इन्फ्राकॉन प्रायवेट लिमिटेड कार्पोरेट पहचान संख्या U45200 MP 2011P/PTC 025834 पता 516, बड़े जैन मंदिर के पास गढ़ा जबलपुर, द्वारा– प्रबंध निदेशक अयोध्या त्रिपाठी,
2. विनोद चाटे पिता स्व. मुरलीधर चाटे, निवासी– शक्तिनगर, जबलपुर म.प्र.

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोरखपुर, जबलपुर (पुनरीक्षण प्रकरण क्र. 21/अ-6/2016-17 में) के समक्ष वर्तमान आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन आवेदन का निराकरण न किये जाने से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों के तहत प्रस्तुत है ।

20/1/17

XXXIX(a)BR(H)-11

सतपुड़ा इन्फाकॉन प्रायवेट लिमिटेड विरूद्ध
सतपुड़ा इन्फाकॉन प्रायवेट लिमिटेड आदि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 277–एक/17 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–1–17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित । उन्हें प्रकरण की गाह्यता एवं स्थगन पर सुना गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर के प्र0क0 21/अ–6/2016–17 में अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन आवेदन/शीघ्र सुनवाई के आवेदन का निराकरण न किए जाने के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 8 सहपठित धारा 50 के तहत पेश की गई है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 11–1–17 के विरूद्ध उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील कमांक 21/अ–6/2016–17 दिनांक 16–1–17 को पेश की गई, जिस पर से उन्हें दिनांक 28–1–17 की तिथि दी गई । आवेदक द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन दिनांक 17–1–17 पेश कर स्थगन आवेदन का निराकरण किए जाने का निवेदन किया गया परंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं मौखिक रूप से कहा गया कि शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर भी दिनांक 28–1–17 को ही सुनवाई की जायेगी । आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अनावेदक तहसीलदार के आदेश की आड़ में प्रश्नाधीन भूमि को विकय करने हेतु प्रयासरत हैं और यदि भूमि का विकय कर दिया गया तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी तथा नये विवाद पैदा होंगे । उक्त आधार पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी ग्राह्य कर तहसीलदार के आदेश को स्थगित करने का निवेदन किया गया है । 2– आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का	

R 277. I/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । चूंकि आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई है जो सुनवाई हेतु लंबित है ऐसी स्थिति में इसं निगरानी को ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य प्रथमदृष्टया प्रकरण में नहीं है । जहां तक प्रकरण में स्थगन दिए जाने का प्रश्न है प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात न्यायहित में यह आदेश दिए जाते हैं कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में सुनवाई कर अंतिम आदेश पारित किये जाने अथवा तीन माह (जो भी पहले हो) तक प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाये और उभयपक्षों द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का कय–विकय/अंतरण आदि न किया जाये । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	